न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी – कमर चौधरी
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 127/2008 रा०रा०अ०

डालचंद पुत्र मंगल दास जाति ब्राहमण निवासी मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा

...प्रार्थी

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी महवा
2. कृषि उपज मंडी समिति मण्डावर तहसील महवा जरिये सचिव।
3. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान जयपुर

......अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र कृषि उपज मण्डी समिति मण्डावर हेतु अवाप्त की गई भूमि की मुआवजा राशि दिलाने एवं जब तक नहीं दिलाई जावे तब तक न्यायालय में जमा करवाने हेतु।

उपस्थित–1. श्री विनोद विजय, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, पैरोकार सरकार
3. श्री अविनाश नागर, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 09.06.2023

संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, महवा के निर्णय दिनांक 31.7.1989 से असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से जांच रिपोर्ट तलब की गई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि अप्रार्थी सं0 1 ने दिनांक 31.7.1989 को ग्राम मंडावर में स्थित भूमि खसरा नंबर 608 में से 33 बीघा 11 बिस्वा भूमि अप्रार्थी नं0 2 को मंडी यार्ड हेतु अवाप्त की गई थी। उक्त भूमि पर मंडी यार्ड बनाने हेतु अप्रार्थी नं0 2 को कब्जा संभलाया गया तथा अप्रार्थी नं0 1 ने उक्त अवाप्त की गई भूमि खसरा नंबर 608 रकबा 33 बीघा 11 बिस्वा का अवार्ड 2,19,857/– घोषित किया। उक्त भूमि अवाप्त करते वक्त उक्त भूमि का खातेदार व वास्तविक स्वामी महंत स्व. नारायण दास था। नारायण दास का स्वर्गवास अवार्ड पारित होने से पूर्व हो गया इसलिए अप्रार्थी नं. 1 ने आदेश दिया था। भूमि खसरा नंबर 608 के खातेदार नारायण दास का स्वर्गवास हो चुका है किन्तु उनके उत्तराधिकारी का मामला विवादास्पद बना हुआ है। अतः सचिव कृषि उपज मंडी समिति महवा–मण्डावर को आदेश दिये जाते हैं कि मुआवजा राशि को बैंक में जमा करवा दिया जावे। उपरोक्त भूमिधारियों प्रेमदास व ब्रजभूषण में से जो भी नारायणदास के उत्तराधिकारी के प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय से प्राप्त कर प्रस्तुत करें उसको मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जावे। उक्त आदेश अप्रार्थी नंबर 1 ने दिनांक 31.7.1989 को पारित किया जिसे बाद में संशोधित करके 40,000/–रू0 प्रति बीघा किया गया। उक्त मुआवजा राशि के भुगतान बाबत राज्य सरकार कृषि (ग्रुप–2)विभाग, जयपुर ने अपने पत्र कमांकः प.10(123)कृषि/2/… दिनांक 28.2.1994 के द्वारा निदेशक कृषि विपणन विभाग जयपुर को आदेश दिया कि … न्यायालय में श्री … ट्रस्ट के वास्तविक उत्तराधिकारी का मामला तय किये जाने तक मुआवजा चुकाये जाने के आदेश को स्थगित किया गया है। नारायणदास का चेला प्रेमदास नाबालिग चेला नारायण दास था। प्रेमदास नाबालिग चेला नारायण दास की मृत्यु दिनांक 5.6.1979 को हो गयी है और प्रार्थी

.....निरन्तर 2 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:56:08 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रेमदास का भाई है, इसलिए उक्त याचिका प्रस्तुत करने तथा उक्त मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी है। ग्राम पंचायत मण्डावर ने दिनांक 19.2.1995 को प्रस्ताव सं0 8 लेकर यह निर्णय पारित किया कि निर्गुण जी महाराज हमारे संत आश्रम है यह सार्वजनिक स्थान है, यह राशि पंचायत द्वारा ट्रस्ट को दी जावे दूसरा व्यक्ति विशेष उत्तराधिकारी नहीं होना चाहिए। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। उक्त निर्णय के खिलाफ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा में निगरानी पेश की गई जो खारिज हो गयी है। प्रेमदास व ब्रजभूषण दोनों का देहान्त हो गया है। राजस्थान सरकार कृषि (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांकः प.10(123)कृषि/2बी/74 पार्ट II दिनांक 28.2.1994 के द्वारा अप्रार्थी सं0 3 निदेशक कृषि विपणन विभाग जयपुर को आदेश दिया कि नवीन मण्डी यार्ड महवा–मण्डावर को अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे बाबत कृषि विभाग का आदेश दिनांक 26.6.1993 एवं पत्र दिनांक 2.12.1993 के निर्देशानुसार कृषि विभाग के संदर्भित आदेशों द्वारा मण्डी समिति महवा मंडावर मंडी यार्ड हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा राशि चुकाये जाने के आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेशों को राज्य सरकार द्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते है तथा राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 7.9.1990 को सक्षम न्यायालय में श्री निर्गुण के वास्तविक उत्तराधिकारियों का मामला तय किये जाने तक एतदद्वारा स्थगित किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी.सिविल रिट पिटीशन सं0 956/1994 उनवानी ब्रजभूषण शर्मा बनाम सरकार में दिनांक 22.8.1994 को निर्णय पारित किया गया है। उक्त मुआवजे के संबंध में भिन्न–2 न्यायालयों द्वारा भिन्न–2 आदेश पारित किये गये है। ग्राम पंचायत मण्डावर द्वारा भी निर्णय किया गया है। प्रेमदास नाबालिग चेला ईश्वरदास नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं होने के बावजूद भी फर्जी प्रेमदास कहीं अपने आपको ईश्वरदास से चेला बताकर कार्यवाही कर रहा है। प्रेमदास ने जिला जज महोदय भरतपुर के यहॉ अपने आपको ईश्वरदास का चेला बताकर प्रकरण पेश किया है। इसी प्रकार प्रेमदास जमाबंदी में ज्ञान दास का चेला दर्ज है किन्तु उक्त प्रेमदास जो कि कहीं ईश्वर दास का चेला है कहीं ज्ञान दास का चेला है, फर्जी तरीके से नारायण दास का चेला बनकर और उक्त नारायण दास के नाम की अवाप्त की गई भूमि के मुआवजे को अप्रार्थीगण से मिलीभगत करके प्राप्त करना चाहता है जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। उक्त प्रेमदास नारायण दास का चेला नहीं है बल्कि ज्ञान दास व ईश्वर दास का चेला है जो फर्जी तरीके से नारायण दास का चेला बनकर और उक्त नारायण के नाम की अवाप्त की गई भूमि के मुआवजा की राशि को हडपना चाहता है। प्रेमदास के खिलाफ प्रार्थी ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट नंबर 56/2008 पुलिस थाना मण्डावर में दर्ज कराई थी जो विचाराधीन है। मंडी यार्ड हेतु अवाप्त की गई भूमि की अवार्ड राशि को अप्रार्थी से तलब फरमाई जाकर न्यायालय में जमा करवाया जाना तथा न्यायालय के निर्णय उपरांत ही न्यायालय निर्णय अनुसार दिया जाना जरूरी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण से मंडी यार्ड मण्डावर हेतु अवाप्त की गयी भूमि की मुआवजा राशि तलब फरमाकर न्यायालय में जमा कराने के आदेश फरमावें तथा न्यायालय के निर्णय तक उक्त मुआवजा राशि को फर्जी प्रेमदास को ना देकर उक्त राशि प्रार्थी को दिलवाने के आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:56:08 IST
Reason: SelfAttested

राजकीय अधिवक्ता की बहस [illegible] स्थित भूमि खसरा नंबर 608 में से 33 बीघा 11 बिस्वा भूमि कृषि उपज मंडी समिति मंडावर हेतु अवाप्त की गई थी जिसका मुआवजा निर्धारण भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 31.7.1989 को किया जा चुका है। उक्त अवाप्त भूमि कृषि उपज मंडी समिति मण्डावर के खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हो चुकी है तथा मंडी का निर्माण भी इसी अवाप्त भूमि में किया हुआ है। माननीय राजस्थान उच्च

.....निरन्तर 3 पर

न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.10.2005 में अप्रार्थी महन्त श्री स्वमी प्रेमदास को मुआवजा प्राप्त करने का हकदार मानते हुए प्रार्थीगण को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति पेश करने हेतु मौका दिये जाने के उपरांत भी प्रार्थीगण द्वारा कोई तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी गलत आधारों पर अवाप्त भूमि का मुआवजा प्राप्त करना चाहता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 की बहस में दलील है कि ग्राम मण्डावर स्थित खसरा नंबर 608 में से 33 बीघा 11 बिस्वा भूमि कृषि उपज मंडी समिति मण्डावर के मंडी यार्ड के निर्माण हेतु अवाप्त की गई थी। भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा द्वारा भूमि का कुल 2,19,857/-रू0 का अवार्ड पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र सरासर गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। कृषि उपज मंडी समिति मंडावर हेतु भूमि की अवाप्ति का अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा द्वारा दिनांक 31.7.1989 को पारित किया गया था, जिसके संबंध में माननीय राज0 उच्च न्यायालय में याचिका पेश होने पर दिनांक 26.4.1992 को ही यह निर्णय कर दिया गया था कि भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 18 के तहत सिविल कोर्ट ही पीडित पक्षकारों को देय राशि का निर्धारण कर सकते है। इसलिए यह मामला सिविल कोर्ट में पोषणीय है। इसी आधार पर माननीय राज0 उच्च न्यायालय ने रिट पिटीशन नं0 1587/1991 को दिनांक 16.4.1992 को तथा दूसरी रिट पिटीशन सं0 956/1994 को दिनांक 22.4.1994 को खारिज किया जा चुका है। माननीय राज0 उच्च न्यायालय के निर्णयों के उपरांत भी प्रार्थी द्वारा यह याचिका श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत की है जो खारिज योग्य है। कृषि उपज मंडी समिति मण्डावर हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी सहायक कलक्टर महवा ने अवार्ड दिनांक 31.7.1989 को पारित किया गया था जिसे 30 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है। भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 18 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि आदेश के 6 सप्ताह में या 6 माह की अवधि में सिविल न्यायालय में रैफरेन्स किया जा सकता है। इसलिए दिनांक 31.7.1989 को पारित अवार्ड विरूद्ध रैफरेन्स करने की अधिकतम मियाद भी दिनांक 31.1.1990 को ही समाप्त हो गयी है। भूमि अवाप्ति अधिनियम में 1894 में भी मुआवजा राशि के बंटवारे का अधिकार भी सिविल न्यायालय को दिया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। कृषि उपज मंडी समिति महवा मण्डावर को कब्जा दिये भी लगभग 30 वर्ष हो चुके है और उस पर मंडी यार्ड का निर्माण भी बहुत वर्षों पूर्व ही हो चुका है। भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा द्वारा निर्णय दिनांक 31.7.1989 में ही यह आदेश दे दिया गया है कि राशि बैंक में जमा रहेगी किसी को भी भुगतान नहीं की जावेगी। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अनावश्यक रूप से प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे एवं कृषि उपज मंडी समिति महवा मण्डावर को न्यायालय व्यय व विशेष खर्चा दिलवाने के आदेश फरमावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्राप्त रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी सहायक कलक्टर महवा द्वारा ग्राम मण्डावर स्थित आराजी खसरा नंबर 608 में से 33 बीघा 11 बिस्वा भूमि को मण्डी यार्ड हेतु अवाप्त की गई थी जिसका मुआवजा 2,19,857/-रू0 पारित किया गया था। तत्पश्चात तत्कालीन जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में समझौता कमेटी द्वारा उक्त अवाप्त भूमि का मुआवजा 40,000/-रू0 प्रति बीघा निर्धारित किया गया था तथा अपने पत्र दिनांक 23.10.1990 के द्वारा तत्कालीन उपखंड अधिकारी हिण्डौन को प्रन्यासी महन्त स्वामी प्रेमदासजी चेला नारायण दास को मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी माना था। न्यायालय भूमि अवाप्ति

.....निरन्तर 4 पर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:56:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

अधिकारी महवा ने धारा 30 व 31 भू अर्जन अधिनियम के तहत माननीय राज. उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.5.1995 के अनुसार उक्त निर्णय जारी करते हुए महन्त स्वामी प्रेमदास को खातेदारी भूमि मण्डावर में कृषि मंडी हेतु अवाप्त भूमि का खातेदारी मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी माना था। माननीय राज0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.10.2005 में स्वामी प्रेमदास को मुआवजे का हकदार मानते हुए प्रार्थीगण ब्रजभूषण एवं मंगलदास को कोई आपत्ति हो तो भूमि अवाप्ति अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये। भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा ने दिनांक 10.3.2008, 28.3.2008, 2.9.2008 को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया किन्तु कोई तथ्यात्मक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया। तहसीलदार महवा से इस बाबत भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा ने मौका रिपोर्ट चाही जाने पर तहसीलदार महवा ने मौका रिपोर्ट दिनांक 15.10.2007 को प्रस्तुत की गई जिसमें महन्त स्वामी प्रेमदास आज भी मंदिरों की व गौशाला में गायों की सेवा व कृषि भूमि की देखरेख अपने नियंत्रण में किया जाना अवगत कराया गया। प्रार्थना पत्र में मुख्य बिन्दु जो तय किया जाना है वह उत्तराधिकार का मामला है जिसे इस न्यायालय से तय नहीं किया जा सकता है। विधिक वारिसान तय करना माननीय सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। प्रार्थी माननीय सिविल न्यायालय से अवाप्त भूमि का विधिक वारिसान तय करवाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी महवा को प्रार्थना पत्र देकर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 09 जून, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:56:08 IST
Reason: SelfAttested